

कार्यालय आयकर निदेशक (छूट), अहमदावाद Office of the Director of Income Tax (Exemption)

द्सरा तल, वसंत नेचर व्यू बिलिडंग, आश्रम रोड, अहमदावाद - 380 009

2ND floor, Vasant Nature View Building, Ashram Road, Ahmedabad 380009

(Tele & Fax: 26584551)

फा.सं.आ.नि(छू.)/अहम/80जी(5)/383/ DFT/2013-14 \ ८२ ५

ता.: 28.03.2014

पैन/PAN: AABTD7580K

ट्रस्ट का नाम/ Name of the Trust.

:- DRISHTI FOUNDATION TRUST

C/o. Dinesh K Gautam B-13, Chandar Darshan Society, Nr. Jay Ambey Nagar, Thaltej, Ahmedabad.

रिन्यूअल की स्वीकृति के लिए आवेदन -

Sub: Application for grant of Approval / renewal u/s. 80G (5) of I.T.Act, 1961 -

उपर्युक्त न्यास/संस्थान के ता <u>01.01.2014</u> के फार्म नं 10 जी में किए गए आवेदन के संदर्भ में, यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त न्यास/संस्थान को किए गए दान आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80 जी (5) के तहत, उसमें दी गई सीमा के अंदर कटौती योग्य हैं।

With reference to application in form No.10G made by the aforesaid trust/institution on $\underline{01.01.2014}$ it is certified that donations made to the trust/institution shall qualify for deduction u/s.80G (5) of the Income-tax Act, 1961, subject to the limits prescribed therein.

2. उपर्युक्त छूट ता <u>01.01.2014</u> से वैद्य है । जबतक कि अधोहस्ताक्षरी द्वारा किसी पूर्व तारीख से निम्नलिखित शर्तों के अधीन रद्ध नहीं किया जाता ।

This exemption is valid with effect from <u>01.01.2014</u> onwards (i.e. F.Y. 2013-14 & A.Y. 2014-15) unless cancelled by the undersigned on any prior date subject to the following conditions:-

- (i) दाताओं को जारी की गई रसीदों में इस प्रमाणपत्र के उपर्युक्त नंबर और तारीख तथा वह अविध जिसके लिए यह वैद्य है, का उल्लेख करें।
 - Receipts issued to the donors should bear the number and date of this certificate and indicate the period for which this certificate is valid.
- (ii) उपर्युक्त न्यासी को आयकर अधिनियम 1961 ,की धारा 2(15), 11, 12, 13 एवं 80 जी की प्रावधानों का पालन करते रहना चाहिए।
 - The aforesaid entity should continue to fulfill the requirements of section 2(15), 11, 12, 13 and 80G of the I T Act, 1961.
- (iii) आयकर अधिनियम 1961 ,की धारा 139(4A)/(4C)/(4D) के तहत आडिट रिपोर्ट के साथ, जहाँ लागू हो, सम्बंधित निर्धारण अधिकारी को नियम तारीख तक आय एवं व्यय के लेखा विवरण एवं बेलेन्स-शीट के साथ आयकरविवरणी प्रस्तृत करनी होगी।

The Statement of Income & Expenditure Account and Balance Sheet are furnished to the concerned Assessing Officer by the due date of furnishing of return of income under section 139(4A)/(4D) of the I T Act, 1961 every year along with the audit report, wherever applicable.





DRISHTI FOUNDATION TRUST

- अगर विलेख/एसोसिएशन/ज्ञापन/निधि/संस्थान/न्यास के नीति नियमों में जब भी कोई संशोधन हो तो सम्बंधित निर्धारण अधिकारी को त्रंत सूचित किया जाए Amendments if any made to the deed of statement/memorandum of Association/Rules Regulations of the Fund/Institution/Trust are intimated to the concerned Assessing Officer, immediately whenever made.
- यह प्रमाण-पत्र निम्न शर्त के आधार पर जारी किया जाता है । This Certificate is issued subject to following condition: न्यास अपरिवर्तनीय होना चाहिए । यद्धपि, कुछ कारणों से न्यास भंगीय है तब सम्पत्ति किसी भी संस्थापक, मध्यस्थ, न्यासी, दाता अथवा सदस्य आदि को देय नहीं होगी किन्त् सम्पत्ति से सम्बन्धित दायित्व किसी अन्य न्यास को स्थानांतरित की जा सकती है लेकिन गुजरात जन न्यास अधिनियम के प्रावधान अनुसार I वह अन्य न्यास उसी तरह की क्रियाविधि में संलग्न होना चाहिए जैसा कि यह न्यास।

The trust should be irrevocable. However, for some reason trust is to be dissolved then no property would go to any founder, settler, trustee or donor, member etc but the properties after meeting liabilities would go to some other trust carrying on similar activity. The transfer of properties, if any, should be as per the provisions of Gujarat Public Trust Act, with the permission of Charity Commissioner.

(vi) This certificate is issued vide registration no.

DIT (E)/AHD/80G(5)/DFT/627/2013-14 dated 28.03.2014

Sd/-(S. K. Gupta)

आयकर निदेशक (छूट), अहमदाबाद

Director of Income Tax (Exemption), Ahmadabad

प्रतिलिपि/Copy to:

The Applicant Trust H)

The Addl. DIT(Exemption), Ahmedabad. (ii)

The Guard File. (iii)

उप आयकर निदेशक (छुट), अहमदाबाद ,द्वारा संबंधित वर्षों के लिए प्रस्तुत किया गया वार्षिक लेखा विवरण से (iv) संतुष्ट हो एवं यह भी देखें कि आवेदक आयकर अधिनियम ,1961 की धारा 80(जी) तथा बोर्ड द्वारा समय समय पर जारी दिशा निर्देशों एवं शर्तों का पालन करते रहना चाहिए ।

The DDIT (Exemption) ,AHMEDABAD. He should satisfy himself with reference to annual statements and accounts for the relevant years submitted by the applicant and see that it continue to fulfill the conditions laid down U/s. 80G of the IT Act and instructions issued by the Board from time to time.

आयकर अधिकारी (म्ख्यालय)(छूट),

Income tax Officer (HQ)(E),

कृते आयकर निदेशक (छूट), अहमदाबाद

For Director of Income Tax (Exemption), Ahmedabad



